क्रम-संख्या–15 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एंस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 28 जनवरी, 2013

माघ 8, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 83/79-वि-1–13-1(क)-3-11

लखनऊ, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश सशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1932 की अनुसूची एक का प्रतिस्थापन

2–भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अनुसूची–एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची–एक

अधिकतम फीस

[धारा 71 की उपधारा (1) देखिए]

दस्तावेज या कार्य जिसके विषय में फीस संदेय है	अधिकतम फीस
1–धारा 58 के अधीन कथन	पांच हजार रुपये
2–धारा 60 के अधीन कथन	पांच सौ रुपये
3–धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	पांच सौ रुपये
4–धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	पांच सौ रुपये
5–धारा 63 के अधीन सूचना	पांच सौ रुपये
6–धारा 64 के अधीन आवेदन	पांच सौ रुपये
7–धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण।	एक सौ रुपये
8–धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण।	एक सौ रुपये
9–फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए पचास रुपये

उद्देश्य और कारण

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1932) की अनुसूची–1 में उपबन्धित अधिकतम फीस वर्ष 2001 से पुनरीक्षित नहीं की गयी है। चूँकि उक्त अधिनियम के प्रशासन पर व्यय बढ़ गया है, अतः उक्त अनुसूची में उपबन्धित फीस को पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया है। अतएव उक्त अनुसूची में दी गयी अधिकतम फीस को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।

No. 83(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)3-11

Dated Lucknow, January 28, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Bharatiya Bhagidari (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 11, 2013.

THE INDIAN PARTNERSHIP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. ACT NO. 2 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Indian Partnership Act, 1932 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty Second Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the Uttar Pradesh.

2. *For* Schedule-1 to the Indian Partnership Act, 1932 the following Schedule shall be *substituted*, namely:– Substitution of Schedule-1 of Act no. IX of 1932

SCHEDULE-1

MAXIMUM FEES

[*See* sub-section (1) of section 71]

Document or Act in respect of which the fee is payable	Maximum Fee
1. Statement under section 58	Five thousand rupees
2. Statement under section 60	Five hundred rupees
3. Intimation under section 61	Five hundred rupees
4. Intimation under section 62	Five hundred rupees
5. Notice under section 63	Five hundred rupees
6. Application under section 64	Five hundred rupees
7. Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of section 66.	One hundred rupees
8. Inspection of documents relating to a Firm under sub-section (2) of section 66.	One hundred rupees
9. Copies from the Register of Firms	Fifty rupees for each hundred words or part thereof

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The maximum fees provided in Schedule-1 to the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932) have not been revised since, 2001. Since the expenditure on the administration of the said Act has been increased, it has become necessary to revise the fees provided in the said Schedule. It has, therefore, been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh to increase the maximum fees given in the said Schedule.

The Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Bill,.2011 is introduced accordingly.

By order,

S.K. PANDEY,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 735 राजपत्र-(हि0)-2013-(3227)-599-प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 77 सा0 विधायी-2013-(3228)-500-प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।